**प्रेस विज्ञप्ति**

**राज भवन, राँची**

**दिनांक : 11 जून, 2025 :-**

(1) भारत की माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2021 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।

विदित हो कि झारखण्ड विधानसभा द्वारा पारित यह संशोधन विधेयक माननीय राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। राष्ट्रपति महोदया द्वारा अनुमोदन उपरांत विधेयक राज भवन को प्राप्त हो गया है।

---

(2) माननीय राज्यपाल-सह-झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति श्री संतोष कुमार गंगवार से आज राज भवन में पूर्व मंत्री श्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भेंट की तथा उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित एक ज्ञापन समर्पित किया।

ज्ञापन के माध्यम से शिष्टमंडल ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षा में छात्र/छात्राओं के नामांकन पर पुनर्विचार का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए किए जा रहे व्यापक संवाद व प्रयास सराहनीय हैं। शिष्टमंडल ने राज्यपाल महोदय से जनजातीय समाज के शिक्षाविदों के साथ पृथक बैठक कर उच्च शिक्षा में सुधार संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु आग्रह किया।

पूर्व मंत्री श्री तिर्की ने यह भी अवगत कराया कि राज्य में भूमि के अवैध हस्तांतरण की घटनाएँ चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय पर भी जनजातीय समाज के विशेषज्ञों के साथ संवाद कर आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

इसके अतिरिक्त, शिष्टमंडल ने राज्यपाल महोदय से राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति पदों पर स्थानीय

व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु विचार करने का अनुरोध भी किया।

इस अवसर पर पूर्व महापौर श्रीमती रमा खलखो सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।